



2026/AHC:27755

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3384/2026

लालचंदा विश्वकर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

चंद्र भूषण सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज है। एफ.आई.आर. में शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसकी लगभग 19 वर्षीय बेटी लकड़ी काटने गई थी, तब आवेदक ने अश्लील हरकत करते हुए उसे अपने घर में घसीटने की कोशिश की। बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि घटना वाले दिन जब वह लकड़ी काटने जा रही थी, तब आवेदक ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया और उसके कपड़े उतारने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ की। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसे फोन किया और डीजे की दुकान में ले जाकर उसके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साथ बलात्कार किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता की चिकित्सा जांच में उसके शरीर पर दो खरोंचें पाई गईं, हालांकि, उसकी आंतरिक चिकित्सा जांच में योनि के नमूने में कोई शुक्राणु नहीं देखा गया और कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार पीड़िता मानसिक रूप से मंदबुद्धि है, लेकिन इस बात का कोई विवरण नहीं है कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज करते समय उसे किसी विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सहायता दी गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि एफ.आई.आर. के संस्करण के साथ-साथ धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के दोनों बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान के अनुसार, पीड़िता का कहना है कि आवेदक ने उसे बुलाया और एक डीजे की दुकान में ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन जांच के दौरान बनाए गए घटनास्थल के अनुसार डीजे की दुकान का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठा आरोप है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त मंशा के कारण झूठे और निराधार आरोपों के साथ इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष पूरी निष्ठा से उपस्थित रहेगा। साथ ही, न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 09.11.2025 से जेल में है, और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. आवेदक लालचंदा विश्वकर्मा को मुकदमा अपराध संख्या 343/2025, धारा 64(2) और 351(3) के तहत, पुलिस स्टेशन बरदाह, जिला आजमगढ़ में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा, जिसका आवेदक पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय आवेदक की जमानत को कानून के अनुसार रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"